

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 04-12-2025

विषय सूची

- » रोहिंग्या निर्वासन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय
- » बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
- » भारत खुले और नियम-आधारित महासागरों के विचार के लिए प्रतिबद्ध है
- » निरंतर और प्रणालीगत चुनौतियाँ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) की पूर्ण क्षमता को कमजोर करती हैं: संसदीय समिति
- » भारत द्वारा नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CCUS के लिए R&D रोडमैप लॉन्च

संक्षिप्त समाचार

- » WHO द्वारा वज़न घटाने के लिए GLP-1 दवाओं के उपयोग का समर्थन
- » समग्र शिक्षा योजना
- » भारतीय सांख्यिकी संस्थान
- » मलेरिया परजीवी त्वचा को कॉर्कस्कू की तरह भेदते हैं
- » पीएम इंटरशिप योजना
- » नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त
- » भारतीय नौसेना दिवस
- » द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (SOLAW 2025)
- » डॉ राजेंद्र प्रसाद

रोहिंग्या निर्वासन मामले पर सर्वोच्च न्यायालय

समाचारों में

- सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई रोहिंग्या व्यक्ति मई से दिल्ली पुलिस की हिरासत में थे और गायब हो गए हैं।
- याचिकाकर्ता ने यह बनाए रखा कि किसी भी निर्वासन को अभी भी विधिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

रोहिंग्या

- वे एक मुस्लिम जातीय समूह हैं जो मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं।
- वे बर्मी के बजाय बंगाली की एक बोली बोलते हैं।
- यद्यपि वे पीढ़ियों से म्यांमार में रहते आए हैं, सरकार उन्हें औपनिवेशिक काल के प्रवासियों के वंशज मानती है और उन्हें पूर्ण नागरिकता से वंचित करती है।
- म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून के अंतर्गत, रोहिंग्या केवल तभी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जब वे यह सिद्ध करें कि उनके पूर्वज 1823 से पहले देश में रहते थे; अन्यथा, उन्हें निवासी विदेशी या सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही एक माता-पिता म्यांमार में जन्मे हों।
- परिणामस्वरूप, उन्हें सिविल सेवा रोजगार और रखाइन के अंदर आवाजाही पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

भारत में संबंधित कानून

- भारत पर शरण देने या नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत का पालन करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है क्योंकि यह शरणार्थी सम्मेलन, यातना के खिलाफ सम्मेलन या जबरन गायब करने पर सम्मेलन का पक्षकार नहीं है।
- शरणार्थियों को पुराने घरेलू कानूनों के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है — विदेशी अधिनियम, 1946, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और नागरिकता अधिनियम, 1955।

- शरणार्थी स्थिति अस्थायी कार्यकारी चैनलों के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें “रणनीतिक अस्पष्टता” होती है, जैसे कि गृह मंत्रालय श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को संभालता है।
- नॉन-रिफाउलमेंट का सिद्धांत प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो उत्पीड़न की ओर वापसी को प्रतिबंधित करता है, हालांकि यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को बुनियादी संरक्षण प्रदान करता है लेकिन गैर-नागरिकों को निवास का अधिकार नहीं देता।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि रोहिंग्या को बिना किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा के स्वतः शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यह बल देते हुए कि अवैध प्रवेश करने वालों के पास देश में कानूनी अधिकार नहीं हैं।
- न्यायालय ने उनके दर्जे पर स्पष्ट सरकारी रुख की आवश्यकता पर बल दिया। इसने सभी प्रवेशकर्ताओं को न्यूनतम मानवीय व्यवहार की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-नागरिकों को कानूनी अधिकार देने पर संदेह व्यक्त किया।
- इसने भारत की संवेदनशील उत्तरी सीमाओं को भी उजागर किया, यह बल देते हुए कि घुसपैठियों को सुविधाओं के साथ “रेड कार्पेट वेलकम” नहीं दिया जा सकता।

Source :TH

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

संदर्भ

- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025

- इसमें कुल 19 संशोधन शामिल हैं जो पाँच विधानों में किए गए हैं;
 - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
 - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
 - बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980

बैंकिंग संशोधन अधिनियम, 2025 की आवश्यकता

- बढ़ती अप्राप्त जमा राशि:** बैंकों में बड़ी राशि नामांकित व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण अप्राप्त रहती है।
 - अधिनियम इस चुनौती का समाधान एक संरचित, सुगम उत्तराधिकार तंत्र स्थापित करके करता है।
- वित्तीय समावेशन का विस्तार:** जैसे-जैसे अधिक परिवार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करते हैं, सेवाओं की जटिलता बढ़ती है।
- आधुनिक ढाँचे की आवश्यकता:** पैमाने, तकनीकी अपनाने और बढ़ते लेन-देन की मात्रा को संभालने के लिए आधुनिक ढाँचे आवश्यक हैं।
- बैंकिंग संचालन में स्पष्टता और एकरूपता:** उभरती तकनीकों के साथ सुगम एकीकरण हेतु एक समान शब्दावली स्थापित करता है।
- विवादों में कमी:** संपत्ति उत्तराधिकार नियमों को औपचारिक बनाकर बैंकों और जमाकर्ताओं के बीच विवादों को कम करता है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख सुधार


- आधुनिकीकृत नामांकन ढाँचा (धारा 10 - 13):** जमाकर्ता अपने बैंक खातों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, या तो एक साथ या क्रमिक नामांकन के माध्यम से।
 - एक साथ नामांकन प्रतिशत-वार आवंटन की अनुमति देता है जो कुल मिलाकर 100% होता है।

- क्रमिक नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सुरक्षित अभिरक्षा और लॉकरों में रखी वस्तुओं का उत्तराधिकार सुगमता से हो।
- ‘महत्वपूर्ण हित’ की पुनर्परिभाषा (धारा 3):** सीमा ₹ 5 लाख (1968 सीमा) से बढ़ाकर ₹ 2 करोड़ कर दी गई है। यह नियामक परिवर्तन शासन मानकों को पुनर्गठित करने के लिए किया गया है।
- सहकारी बैंकों में शासन (धारा 4 और 14):** निदेशकों के कार्यकाल को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया है, जिससे अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर)। अन्य बैंकिंग कंपनियों में निदेशकों का कार्यकाल अपरिवर्तित रहता है।
- पीएसबी में लेखा परीक्षा सुधार (धारा 15-20):** पीएसबी को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने का अधिकार दिया गया है।
 - अब पीएसबी को अप्राप्त शेयर, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की अनुमति होगी, जिससे वे कंपनियों अधिनियम के अंतर्गत अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हो जाएंगे।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ बैंकिंग सुधारों का प्रभाव

- जमाकर्ता-केंद्रित:** अधिनियम में सार्वजनिक विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए सुदृढ़ उपाय शामिल हैं, जिससे उनके परिवारों के लिए दावे का निपटान सरल हो जाता है।
- वित्तीय पारदर्शिता में सुधार:** निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण एक अधिक पारदर्शी कोष प्रबंधन प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखता है।
- लेखा परीक्षा गुणवत्ता में वृद्धि:** बेहतर पारिश्रमिक देकर पीएसबी अब अधिक योग्य पेशेवरों को आकर्षित कर सकेंगे और लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।

- **संचालन दक्षता में सुधार:** अधिनियम कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जैसे कि कुछ परिचालन परिभाषाओं को अद्यतन करना।



Source: PIB

भारत खुले और नियम-आधारित महासागरों के विचार के लिए प्रतिबद्ध है

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत महासागरों को “खुले, स्थिर और नियम-आधारित” बनाए रखने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने समुद्री क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक और महत्वपूर्ण महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया।

परिचय

- हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का मार्ग है। इसके केंद्र में स्थित होने के कारण भारत की विशेष जिम्मेदारी है।
- समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्री संसाधनों की रक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और समुद्री अनुसंधान को समर्थन देकर नौसेना सुरक्षित, समृद्ध एवं सतत महासागरों की दृष्टि को सुदृढ़ करती है।
- राष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी के लिए आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है।

हिंद महासागर क्षेत्र

- हिंद महासागर विश्व के कुल महासागर क्षेत्र का लगभग पाँचवाँ हिस्सा कवर करता है।

- यह उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश; पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया; दक्षिण में दक्षिणी महासागर; तथा पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप से घिरा है।



- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 36 देश शामिल हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 अरब है, जो वैश्विक जनसंख्या का 35% एवं विश्व की तटरेखा का 40% है।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

- **भूरणनीतिक महत्व:** हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
 - ▲ इसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं — होरमुज जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब, मलक्का जलडमरूमध्य, लोम्बोक जलडमरूमध्य — जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह का बड़ा हिस्सा संभालते हैं।
 - ▲ IOR पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे यह भारत, चीन, अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय क्षेत्र बन जाता है।
- **आर्थिक महत्व:** यह क्षेत्र वैश्विक कंटेनर यातायात का लगभग 50% और समुद्री तेल व्यापार का 80% वहन करता है।
 - ▲ यह ब्लू इकोनॉमी गतिविधियों का केंद्र है: शिपिंग, मत्स्य पालन, समुद्र-तल खनन और पर्यटन।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** IOR वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की जीवनरेखा है: पश्चिम एशिया से तेल और गैस इसके समुद्री मार्गों से पूर्व एशिया तक पहुँचते हैं।

- ▲ भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, जिससे IOR की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **ब्लू इकोनॉमी और संसाधन क्षमता:** ऊर्जा और व्यापार से परे, IOR सतत महासागर-आधारित आर्थिक विकास के लिए एक अप्रयुक्त क्षेत्र है।
- ▲ हिंद महासागर विश्व की कुल मछली पकड़ का लगभग 15% प्रदान करता है, जिससे मत्स्य उद्योग क्षेत्र के लाखों लोगों को रोजगार और पोषण उपलब्ध कराता है।

हाल ही में IOR पर ध्यान क्यों बढ़ा है?

- **नई अर्थव्यवस्थाओं का उदय:** भारत और चीन के उभरने से IOR में व्यापार नेटवर्क पुनर्जीवित हुए हैं और यह क्षेत्र नया आर्थिक विकास केंद्र बन रहा है।
- **समुद्री सुरक्षा खतरे:** सोमालिया के पास विशेष रूप से समुद्री डकैती ने वैश्विक शिपिंग मार्गों को खतरे में डाला और समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा के प्रयास बढ़ाए।
- **इंडो-पैसिफिक अवधारणा:** इंडो-पैसिफिक भारतीय और प्रशांत महासागरों को एक रणनीतिक क्षेत्र में जोड़ता है तथा नए वैश्विक समुद्री व्यवस्था को आकार देने में IOR की केंद्रीयता को उजागर करता है।
- **वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव:** IOR पर नियंत्रण व्यापार प्रवाह, रणनीतिक समुद्री मार्गों और सैन्य तैनाती को प्रभावित कर सकता है।

IOR में चुनौतियाँ

- **IOR में चीनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार:** क्षेत्र में नौसैनिक जहाजों की संख्या और अवधि में वृद्धि।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता गतिविधियाँ:** चीनी अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाजों की तैनाती, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर संवेदनशील समुद्री डेटा एकत्र करते हैं।
- **समुद्री डकैती:** अफ्रीका के हॉर्न और मलक्का जलडमरूमध्य के पास समुद्री डकैती शिपिंग को खतरे में डालती है।

- **आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और नेटवर्क:** छिद्रपूर्ण समुद्री सीमाओं का दुरुपयोग।
- **भारत के पास रणनीतिक बंदरगाह विकास:** चीन IOR के तटीय राज्यों में बंदरगाह और अवसंरचना विकसित कर रहा है, जिनमें भारत की समुद्री सीमाओं के पास भी शामिल हैं।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ

- **कूटनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व:** भारत आपदाओं में प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में अपनी स्थिति रखता है।
 - ▲ भारत HADR (मानवीय सहायता एवं आपदा राहत), MDA (समुद्री क्षेत्र जागरूकता) और विकास में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार है।
- **इंडो-पैसिफिक ओशनन्स इनिशिएटिव (IPOI), 2019:** भारत द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में घोषित पहल।
 - ▲ फोकस क्षेत्र: समुद्री सुरक्षा, पारिस्थितिकी, संसाधन साझा करना, आपदा प्रबंधन, संपर्क और व्यापार।
- **MAHASAGAR पहल:** (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) भारत की रणनीतिक पुनर्ब्रांडिंग को दर्शाता है।
- **नौसैनिक आधुनिकीकरण और स्वदेशी विकास:**
 - ▲ स्वदेशी युद्धपोतों का कमीशन (जैसे INS विक्रान्त, INS विशाखापत्तनम)।
 - ▲ समुद्री क्षेत्र जागरूकता और शक्ति प्रक्षेपण को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्रीय कूटनीति:** भारत क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चीनी अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों पर जागरूकता बढ़ा रहा है।
- **बहुपक्षीय सहभागिता:**
 - ▲ **IORA (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन):** भारत संस्थापक सदस्य (1997)।
 - ▲ **IONS (हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी):** भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में शुरू।
 - ▲ **QUAD (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया):** समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित।

- ▲ **CSC (कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन):** भारत, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सदस्य।
- **IOR का सैन्यीकरण पर भारत का दृष्टिकोण:** भारत का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र का सैन्यीकरण वांछनीय नहीं है और यह हिंद महासागर तथा व्यापक इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

निष्कर्ष

- भारत के लिए IOR केवल पड़ोस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। **एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो-पैसिफिक विजन और ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी** जैसी पहलें IOR में भारत की केंद्रीयता को सुदृढ़ करती हैं।

Source: TH

निरंतर और प्रणालीगत चुनौतियाँ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) की पूर्ण क्षमता को कमजोर करती हैं: संसदीय समिति

संदर्भ


- हाल ही में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 'दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के कार्य की समीक्षा और उभरते मुद्दे' में चेतावनी दी कि प्रणालीगत अक्षमताएँ और संरचनात्मक विलंब भारत की दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की प्रभावशीलता को कमजोर कर रहे हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के बारे में

- इसे 2016 में लागू किया गया था, उस समय जब बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) और अप्रभावी वसूली तंत्र — जैसे SARFAESI, लोक अदालतें और ऋण वसूली न्यायाधिकरण — बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर रहे थे।
- इसने पुराने ऋणी-नियंत्रणाधीन मॉडल (जैसे *रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम – SICA*) को ऋणदाता-नियंत्रणाधीन दृष्टिकोण से बदल दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वित्तीय ऋणदाता समाधान प्रक्रिया का नेतृत्व करें।

IBC का उद्देश्य और लक्ष्य

- IBC एक समयबद्ध तंत्र के रूप में कार्य करता है ताकि दिवाला और दिवालियापन मामलों को संरचित तरीके से हल किया जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)** द्वारा बताए गए हैं:
 - ▲ **समाधान:** पुनर्गठन या स्वामित्व परिवर्तन के माध्यम से व्यवहार्य व्यवसायों को पुनर्जीवित करना।
 - ▲ **परिसंपत्ति मूल्य का अधिकतमकरण:** आगे मूल्य हास को रोकना।
 - ▲ **उद्यमिता और ऋण प्रवाह को बढ़ावा:** एक कुशल निकास तंत्र प्रदान करके जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना।



IBC की उपलब्धियाँ (2016 से अब तक)

- IBC ने **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP)** के माध्यम से 1,194 कंपनियों का समाधान किया है।
- ऋणदाताओं ने इन कंपनियों के परिसमापन मूल्य का 170% और उचित मूल्य का 93% वसूल किया है, जो वित्तीय अनुशासन एवं ऋणदाता विश्वास पर संहिता के प्रभाव को दर्शाता है।
- **MSMEs के लिए पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान:** IBC में 2021 में संशोधन कर पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (PIRP) शुरू किया गया।
 - ▲ यह ऋणदाताओं और देनदारों के बीच न्यायालय से बाहर समझौते की अनुमति देता है।

- ▲ देनदार व्यापार संचालन पर नियंत्रण बनाए रखता है।
- ▲ यह ₹1 करोड़ से अधिक न होने वाले डिफॉल्ट पर लागू होता है।

संसदीय समिति की रिपोर्ट में उठाई गई चिंताएँ और मुद्दे

- **धीमी प्रक्रियाएँ और विलंबित समाधान:** दिवाला आवेदन की धीमी स्वीकृति मूल्य प्राप्ति में बड़ी बाधा बन गई है, जिससे परिसंपत्तियों का हास होता है।
 - ▲ CIRP पूरा करने की औसत अवधि 713 दिन है, जो संहिता में निर्धारित 330 दिनों से दोगुनी है।
- **विलंब के प्रमुख कारण:**
 - ▲ NCLT पीठों की कमी और रिक्त न्यायिक पद।
 - ▲ प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, जिससे न्यायाधिकरण की दक्षता प्रभावित होती है।
 - ▲ बार-बार और तुच्छ मुकदमेबाजी, अक्सर प्रवर्तकों या असफल बोलीदाताओं द्वारा शुरू की जाती है, जिससे परिसंपत्ति मूल्य घटता है।
- **कम वसूली दरों पर चिंता:** कुल वसूली स्वीकृत दावों का केवल 32.8% है।
 - ▲ IBBI के अनुसार औसत वसूली दर 2019 में 43% से घटकर लगभग 32% हो गई है।
 - ▲ इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनियाँ IBC प्रक्रिया में बहुत देर से प्रवेश करती हैं, जब उनकी परिसंपत्तियाँ पहले से ही गंभीर रूप से तनावग्रस्त होती हैं।
- **परिसंपत्ति मूल्यांकन और समाधान में समस्याएँ:** मूल्यांकन प्रायः उद्यम मूल्य के बजाय परिसमापन क्षमता को दर्शाता है, जिससे वसूली कम होती है।
 - ▲ गुणवत्तापूर्ण समाधान आवेदकों का सीमित पूल और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी।
- **अत्यधिक हेयरकट्स:** कई मामलों में ऋणदाताओं को भारी हानि होती है।
 - ▲ 70% से अधिक मामलों में औसत हेयरकट दावों का 80% है।

- ▲ उदाहरण: वीडियोकॉन समूह समाधान में 95.3% हेयरकट हुआ, अर्थात् ऋणदाताओं ने अपने बकाया का 5% से भी कम वसूल किया।

- **क्षमता सीमाएँ:** NCLT और IBBI संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। समिति ने अधिक पीठों, बेहतर अवसंरचना और दिवाला पेशेवरों के लिए उन्नत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

दक्षता सुधारने के लिए सिफारिशें

- मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए अतिरिक्त NCLT पीठों की स्थापना में तेजी लाएँ।
 - ▲ NCLT को दिवाला मामलों को 30 दिनों के अंदर स्वीकार करना चाहिए।
- केंद्रीकृत डिजिटल केस प्रबंधन हेतु एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच (iPIE) के संचालन में तीव्रता लाएँ।
- अनावश्यक अपीलों के लिए निवारक उपाय लागू करें, जिनमें शामिल हैं:
 - ▲ असफल समाधान आवेदकों द्वारा अपील दाखिल करने पर अनिवार्य अग्रिम जमा।
 - ▲ अनावश्यक या दुर्भावनापूर्ण आवेदनों पर दंड में पर्याप्त वृद्धि।
- **संस्थागत और न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करना:** NCLT की पीठों की संख्या बढ़ाना और केस प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना ताकि प्रवेश एवं सुनवाई में तीव्रता लाई जा सके।
 - ▲ NCLT पीठों में 50% रिक्तियों को दूर करें और सक्रिय रूप से भर्ती करें।
- **सभी क्षेत्रों के लिए प्री-पैक ढाँचा:** MSMEs से परे प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान को प्रोत्साहित करना ताकि मुकदमेबाजी कम हो और दक्षता बढ़े।
- **निगरानी और पारदर्शिता में सुधार:** समाधान पेशेवरों और ऋणदाताओं की समिति (CoC) की निगरानी को बढ़ाना ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित हो सके।
 - ▲ विशेषीकृत IBC पीठें दिवाला मामलों को कुशलतापूर्वक संभाल सकती हैं।

- **संशोधित हेयरकट मीट्रिक्स:** IBBI सुझाव देता है कि हेयरकट को मूल ऋण मूल्य के बजाय प्रवेश के समय वास्तविक परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर मापा जाए, ताकि वसूली की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- **डेटा-आधारित निगरानी:** विलंब की निगरानी, बाधाओं की पहचान और जवाबदेही में सुधार के लिए तकनीक एवं डेटा विश्लेषण का उपयोग करना।

Source: TH

भारत द्वारा नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CCUS के लिए R&D रोडमैप लॉन्च

संदर्भ

- भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों को कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए अपनी तरह का प्रथम अनुसंधान एवं विकास (R&D) रोडमैप लॉन्च किया गया।

परिचय


- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा तैयार किया गया है।
- रोडमैप में सहायक ढाँचों की आवश्यकता पर बल दिया गया है — जिनमें कुशल मानव संसाधन, नियामक और सुरक्षा मानक, तथा प्रारंभिक साझा अवसंरचना शामिल हैं।
- यह CCUS विकास को तीव्र करने के लिए विषयगत प्राथमिकताओं और वित्त पोषण मार्गों पर रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

भारत के उत्सर्जन

- भारत, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा CO₂ उत्सर्जक है, जिसकी अनुमानित वार्षिक उत्सर्जन मात्रा लगभग 2.6 गीगाटन प्रति वर्ष (gtpa) है।
- भारत सरकार ने 2050 तक CO₂ उत्सर्जन को 50% तक कम करने और 2070 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचने का संकल्प लिया है।
- यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि सुदृढ़ है, विद्युत क्षेत्र का उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का केवल एक-तिहाई है; शेष

“कठिन-से-घटाने वाले” औद्योगिक और प्रक्रिया क्षेत्रों से आता है।

- ▲ भारत अभी भी औद्योगिक और बेसलोड ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ऊर्जा (कोयला, तेल, गैस) पर भारी निर्भर है — इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने में समय लगेगा।




- इसलिए, दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों (जैसे 2070 तक नेट-ज़ीरो) को पूरा करने के लिए केवल नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार पर्याप्त नहीं है: CCUS अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

CCUS क्या है और यह कैसे सहायता कर सकता है?

- **कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS):** औद्योगिक संयंत्रों/विद्युत संयंत्रों या उत्सर्जन स्रोतों से CO₂ को पकड़ना; फिर या तो CO₂ का उपयोग करना (उपयोग) या इसे स्थायी रूप से संग्रहीत करना (भंडारण, जैसे भूवैज्ञानिक भंडारण)।
- **उपयोग मार्ग:** CO₂ को मूल्य-वर्धित उत्पादों में बदलना — जैसे ग्रीन यूरिया (उर्वरक), निर्माण सामग्री (कंक्रीट, एग्रीगेट्स), रसायन (मेथनॉल, एथनॉल), पॉलिमर/बायोप्लास्टिक, निर्माण हेतु एग्रीगेट्स आदि।
 - ▲ CO₂ का उपयोग उन्नत तेल वसूली (EOR) में भी किया जा सकता है।
- **भंडारण:** भारत के पास बहुत बड़ी CO₂ भंडारण क्षमता है — रिपोर्ट के अनुसार भूवैज्ञानिक संरचनाओं में लगभग 600 गीगाटन (Gt) तक की क्षमता है, जो बड़े पैमाने पर CCUS तैनाती के लिए पर्याप्त है।
- रिपोर्ट ने “क्लस्टर मॉडल” का समर्थन किया है: ऐसे CCUS हब/क्लस्टर बनाना जहाँ कई औद्योगिक

संयंत्र CO₂ को पकड़ें और साझा परिवहन व भंडारण अवसंरचना का उपयोग करें। इससे पैमाने की अर्थव्यवस्था और लागत-प्रभावशीलता में सुधार होगा।



भारत में CCUS के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र और उत्सर्जन स्रोत

- इस्पात और लौह निर्माण।
- सीमेंट उत्पादन।
- पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, उर्वरक और रासायनिक उद्योग।
- जीवाश्म-ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन (विशेषकर कोयला-आधारित तापीय संयंत्र) — बेसलोड बिजली मांग को पूरा करते हुए उत्सर्जन कम करने के लिए।
- ये क्षेत्र उत्सर्जन-गहन हैं और केवल नवीकरणीय ऊर्जा या विद्युतीकरण से आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते।

CCUS के साथ भारत का भविष्य

- रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत 2050 तक CCUS के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 750 मिलियन टन CO₂ पकड़ सकता है।
- व्यापक CCUS अपनाने से आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता (कम आयात निर्भरता), औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और एक **चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था** में योगदान हो सकता है, जहाँ अपशिष्ट CO₂ को उपयोगी उत्पादों में बदला जाए।
- **रोज़गार सृजन की संभावना:** बड़े पैमाने पर CCUS तैनाती समय के साथ महत्वपूर्ण रोजगार उत्पन्न कर सकती है।

- CCUS को भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (जैसे गैर-जीवाश्म क्षमता स्थापित करना, उत्सर्जन तीव्रता कम करना और 2070 तक नेट-ज़ीरो) को पूरा करने का एक प्रमुख साधन माना गया है, बिना औद्योगिक विकास या बेसलोड बिजली आवश्यकताओं का बलिदान किए।

प्रमुख नीतिगत सिफारिशें

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्त पोषण तंत्र (जैसे स्वच्छ-ऊर्जा उपकर, बॉन्ड, सरकारी समर्थन) और बड़े अवसंरचना प्रबंधन (CO₂ परिवहन पाइपलाइन, भंडारण स्थल, निगरानी) के लिए ढाँचे का सुझाव।
- क्षेत्रवार CCUS क्लस्टर/हब बनाने को बढ़ावा देना — साझा अवसंरचना (कैप्चर, परिवहन, भंडारण) का उपयोग कर लागत कम करना एवं व्यवहार्यता बढ़ाना।
- पकड़े गए CO₂ का मूल्य-वर्धित उपयोग (केवल भंडारण नहीं) प्रोत्साहित करना ताकि आर्थिक मूल्य उत्पन्न हो — जैसे निर्माण सामग्री, रसायन, उर्वरक आदि। इससे CCUS को चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

- CCUS रिपोर्ट ने भारत की दोहरी चुनौती को समझदारी से स्वीकार किया है: तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता, तथा डीकार्बोनाइज़ करने की अनिवार्यता।
- CCUS एक व्यावहारिक, संक्रमणकालीन उपकरण प्रदान करता है जो मध्यम से दीर्घकाल में “कठिन” क्षेत्रों और कोयला-आधारित बिजली को डीकार्बोनाइज़ करने में सहायता करता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ विकल्पों का विस्तार होता है।
- यदि भारत CCUS को सहायक नीति, वित्त पोषण और मूल्य-वर्धित CO₂ उपयोग के साथ आगे बढ़ाता है, तो यह **चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था** के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में उभर सकता है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

WHO द्वारा वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं के उपयोग का समर्थन

समाचारों में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापे के उपचार हेतु ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) थेरेपी के उपयोग पर अपनी प्रथम दिशा-निर्देश जारी की है।
 - WHO ने उच्च जोखिम वाले समूहों में टाइप 2 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए GLP-1 थेरेपी को अपनी आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया है।

GLP-1 थेरेपी

- GLP-1 थेरेपी (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट) दवाओं का एक वर्ग है जो प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन की नकल करता है, जो रक्त शर्करा और भूख को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
- इन्हें मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इन्हें मोटापे और वजन घटाने के उपचार के लिए भी मंजूरी दी गई है।
- कुछ GLP-1 दवाएँ (लिराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपाटाइड) दिल का दौरा, स्ट्रोक एवं हृदय विफलता के जोखिम को कम करती हैं, तथा टाइप 2 डायबिटीज, गुर्दे और यकृत रोग की घटनाओं को भी घटाती हैं।
- हालांकि, GLP-1 थेरेपी की वैश्विक मांग ने नकली और निम्न-स्तरीय उत्पादों के प्रसार को बढ़ावा दिया है, जिससे रोगी सुरक्षा एवं विश्वास को खतरा है।

मोटापा

- यह एक दीर्घकालिक जटिल रोग है, जिसे अत्यधिक वसा जमाव द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
- यह टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, हड्डियों के स्वास्थ्य एवं प्रजनन को प्रभावित कर सकता है।

- यह कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जैसे सोने या चलने में कठिनाई।
- यह एक दीर्घकालिक रोग है जो 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और 2024 में 3.7 मिलियन मृत्युओं का कारण बना।
- मोटापे की दर तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक दोगुनी हो सकती है, जिससे वैश्विक आर्थिक लागत प्रति वर्ष 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।
 - NFHS-5 के अनुसार, भारत में 24% महिलाएँ और 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।

Source :TH

समग्र शिक्षा योजना

समाचारों में

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने दोहराया कि राज्यों को केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए समग्र शिक्षा योजना की शर्तों को पूरा करना होगा।

समग्र शिक्षा

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्रीय प्रायोजित योजना — समग्र शिक्षा लागू की है।
- यह एकीकृत केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से सहयोग करता है, जैसे:
 - समग्र विद्यालय अनुदान
 - पुस्तकालय
 - खेल
 - निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें
 - आईसीटी पहल
 - पुनरावृत्ति शिक्षण
 - नेतृत्व विकास

- वित्तीय सहायता का विस्तार पहुँच बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, और PM-JANMAN के अंतर्गत छात्रावास शामिल हैं।
- विशेष प्रावधान विकलांग बच्चों के लिए किए गए हैं (सहायक उपकरण, ब्रेल किट, वजीफे आदि)।

महत्व

- यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है।
- इसका फोकस है:
 - नए पाठ्यक्रम ढाँचे
 - प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
 - बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता
 - दक्षता-आधारित शिक्षा
 - बेहतर छात्र मूल्यांकन
 - इन सभी का उद्देश्य शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।

Source : TH

भारतीय सांख्यिकी संस्थान

संदर्भ

- कोलकाता में शिक्षाविदों ने प्रदर्शन किया ताकि केंद्र सरकार की उस योजना का विरोध किया जा सके जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) अधिनियम, 1959 को निरस्त कर उसकी जगह एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है।
 - यह कदम संस्थान के कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा और उसकी शैक्षणिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से कम कर देगा।

परिचय

- भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने 17 दिसंबर, 1931 को कोलकाता में की थी।
- 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ।

- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके केंद्र दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई एवं तेजपुर में स्थित हैं।
- संस्थान सांख्यिकी एवं गणित सहित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है और इसमें कई शोध प्रभाग हैं।
- इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था 33-सदस्यीय परिषद है — जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष, केंद्र के छह प्रतिनिधि, संस्थान में कार्यरत न होने वाले वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि, और पदेन सदस्य जैसे निदेशक तथा शैक्षणिक प्रभागों एवं केंद्रों के प्रमुख शामिल हैं।
- भारत के कई प्रमुख सांख्यिकीविद्, गणितज्ञ एवं अर्थशास्त्री इसके संकाय में रहे हैं, और इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त है।

Source: TH

मलेरिया परजीवी त्वचा को कॉर्कस्कू की तरह भेदते हैं

संदर्भ

- हाल ही में नेचर फिजिक्स + में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि मलेरिया स्पोरोजोइट्स, जो मच्छरों द्वारा इंजेक्ट किए गए संक्रामक रूप होते हैं, मानव त्वचा के अंदर दाँएँ हाथ की ओर घूमने वाले हेलिकल (कॉर्कस्कू) मार्ग का उपयोग करके चलते हैं।
 - यह कॉर्कस्कू गति उन्हें शोरगुल वाले जैविक वातावरण में लंबी दूरी तय करने और यकृत तक जाने वाली रक्त केशिका (ब्लड कैपिलरी) खोजने में मदद करती है।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
- **संक्रमण :** यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से फैलते हैं। रक्त आधान (Blood transfusion) और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।

- **परजीवियों के प्रकार :** मानवों में मलेरिया उत्पन्न करने वाले *प्लाज्मोडियम* परजीवियों की 5 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 2 – *P. फाल्सीपेरम* और *P. वैवाक्स* – सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती हैं। अन्य प्रजातियाँ जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं, वे हैं *P. मलेरी*, *P. ओवले (ovale)* और *P. नोलेसी (knowlesi)*।
 - ▲ *P. फाल्सीपेरम* सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक पाया जाता है।
 - ▲ *P. वैवाक्स* उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है।
- **लक्षण (Symptoms):** बुखार एवं फ्लू जैसे रोग, जिनमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं।

Source: TH

पीएम इंटरशिप योजना

संदर्भ

- पीएम इंटरशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट ने एक वर्ष में 1.25 लाख इंटरशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को पार कर लिया है, लेकिन केवल पाँच में से एक उम्मीदवार ने पीएम इंटरशिप योजना के प्रस्ताव स्वीकार किए, और उनमें से 20% ने बीच में ही छोड़ दिया।
 - ▲ उम्मीदवारों ने स्थान, भूमिकाएँ और अवधि को प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण बताया।

पीएम इंटरशिप योजना

- **घोषणा:** केंद्रीय बजट 2024-25 में।
- **उद्देश्य:**
 - ▲ 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के एक करोड़ उम्मीदवारों को पाँच वर्षों तक 12 महीने की इंटरशिप प्रदान करना।
 - ▲ रोजगार चाहने वालों को शीर्ष कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव उपलब्ध कराना।
- **क्रियान्वयन एजेंसी:** कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय।
- **रक्तियाँ:**
 - ▲ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में 1,25,000 पद।

- ▲ शीर्ष कंपनियों की पहचान विगत तीन वर्षों के औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के आधार पर की गई है।
- ▲ कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है।

पात्रता:

- ▲ परिवार का कोई सदस्य ₹8 लाख वार्षिक से अधिक आय अर्जित न करता हो।
- ▲ आयु 18 से 24 वर्ष (OBC/SC/ST के लिए छूट)।

आईटीआई: मैट्रिक + संबंधित ट्रेड में आईटीआई

डिप्लोमा: इंटरमीडिएट + AICTE-मान्यता प्राप्त डिप्लोमा।

डिग्री: UGC/AICTE-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।

वेतन (Stipend):

- ▲ ₹5,000 मासिक वृत्ति।
- ▲ ₹6,000 की एकमुश्त भुगतान।

Source: TH

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त

संदर्भ

- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।
 - ▲ यह 27वाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) बन गया है जिसे यह दर्जा दिया गया है।

परिचय

- 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) क्षमता वाली पेट्रोलीयम रिफाइनरी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थित है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में इसका वार्षिक कारोबार ₹25,147 करोड़ रहा, जिसमें ₹1,608 करोड़ का शुद्ध लाभ शामिल था।
- भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSEs) को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – निररत्न, नवरत्न और महारत्न CPSEs।

- “रत्न” दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य राज्य संचालित संस्थाओं को परिचालन स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है।

वर्गीकरण

- **मिनिरत्न दर्जा:** CPSEs को मिनिरत्न दर्जे के अंतर्गत दो उप-श्रेणियों में रखा जाता है – मिनिरत्न-I और मिनिरत्न-II।
 - ▲ **श्रेणी-I दर्जा:** वे CPSEs जिन्होंने लगातार तीन वर्षों तक लाभ दर्ज किया है, जिनका कम से कम एक वर्ष में ₹30 करोड़ या उससे अधिक का कर-पूर्व लाभ रहा है, तथा जिनकी निवल संपत्ति (Net Worth) सकारात्मक है, उन्हें मिनिरत्न-I PSU के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ▲ **श्रेणी-II दर्जा:** वे PSUs जिन्होंने लगातार तीन वर्षों तक लाभ दर्ज किया है और जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है, उन्हें मिनिरत्न-II कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **नवरत्न दर्जा:** वे PSUs जिनके पास मिनिरत्न-I दर्जा है और जिन्होंने विगत पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में “उत्कृष्ट” या “बहुत अच्छा” MoU रेटिंग प्राप्त किया है तथा छह चयनित प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक का संयुक्त स्कोर हासिल किया है, वे नवरत्न दर्जे के लिए पात्र होते हैं।
- **महारत्न दर्जा:** एक PSU “महारत्न” दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
 - ▲ उसके पास “नवरत्न” दर्जा होना चाहिए।
 - ▲ भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होना चाहिए।
 - ▲ न्यूनतम शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन होना चाहिए।
 - ▲ विगत तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार ₹25,000 करोड़ से अधिक और औसत वार्षिक निवल संपत्ति ₹15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए।
 - ▲ विगत तीन वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए।

- ▲ **महारत्न PSUs के उदाहरण:** BHEL, BPCL, कोल इंडिया, GAIL, HPCL, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGCI

Source: TH

भारतीय नौसेना दिवस

संदर्भ

- नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।

परिचय

- इसी दिन 1971 में, ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने चार पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था, जिनमें PNS खैबर भी शामिल था।
- इस वर्ष नौसेना दिवस का आयोजन तिरुवनंतपुरम, केरल के शंगुमुगम बीच पर शानदार परिचालन प्रदर्शन (Operational Demonstration) के साथ किया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय नौसेना एक आधुनिक ब्लू-वॉटर फोर्स के रूप में कार्य करती है, जिसमें 67,000 से अधिक कर्मी और लगभग 150 जहाज व पनडुब्बियाँ शामिल हैं।
- 1972 से पहले नौसेना दिवस कई बार बदला गया था—प्रथम बार इसे रॉयल नेवी के ट्राफलगर डे (21 अक्टूबर) पर मनाया गया, फिर 1 दिसंबर को और बाद में 15 दिसंबर को।

Source: AIR

द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (SOLAW 2025)

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (SOLAW 2025) जारी किया है।

द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (SOLAW)

- यह FAO की भूमि और जल प्रबंधन पर प्रमुख रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास हासिल करने के लिए सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।
- सर्वप्रथम 2011 में प्रकाशित हुई, यह वैज्ञानिक ज्ञान को संचार और जनसंपर्क से जोड़ती है ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतिनिर्माण को सुसंगत दिशा मिल सके।
- परिदृश्य स्तर पर सतत भूमि, मृदा और जल प्रबंधन की प्रवृत्तियों की जाँच करके SOLAW, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर FAO के कार्य को सुदृढ़ करता है।

नवीनतम निष्कर्ष

- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कृषि को 2050 तक 50% अधिक खाद्य उत्पादन करना होगा, लेकिन इससे पहले से ही दबावग्रस्त भूमि, मृदा और जल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- 1964 से अब तक उत्पादन तीन गुना हो गया है, मुख्यतः तीव्रता (Intensification)—उच्च उपज वाली फसलें, सिंचाई और तकनीक—के माध्यम से, जबकि कृषि भूमि केवल 8% बढ़ी है।
- कृषि अब पृथ्वी की एक-तिहाई भूमि को कवर करती है और वैश्विक स्वच्छ जल का 72% उपयोग करती है, जिससे जल संकट, भूजल का अत्यधिक दोहन और 1.6 अरब हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्षरण हुआ है, जिनमें से अधिकांश कृषि भूमि है।
- यह चक्र—क्षतिग्रस्त मृदा, घटते जल संसाधन और वनों की कटाई—कृषि की नींव को कमजोर कर रहा है तथा खाद्य प्रणाली की लचीलापन (Resilience) को घटा रहा है।

सुझाव

- रिपोर्ट के अनुसार कि विस्तार अब संभव नहीं है; भविष्य की उपलब्धियाँ सतत तीव्रता (Sustainable Intensification) से ही आनी चाहिए—उपज अंतर को कम करना, लचीली फसलों में विविधता लाना और संसाधन-कुशल, स्थानीय रूप से अनुकूलित प्रथाओं को अपनाना।

- एकीकृत प्रणालियाँ जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री, रोटेशनल ग्रेजिंग, फॉरेज सुधार और धान-मछली खेती को उन मार्गों के रूप में रेखांकित किया गया है जो 2085 तक 10.3 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकती हैं, साथ ही पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा भी कर सकती हैं।

Source :DTE

डॉ राजेंद्र प्रसाद

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- **जन्म:** उनका जन्म 1884 में बिहार के सीवान ज़िले में हुआ था।
- **शिक्षा:** उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में स्नातक की पढ़ाई की।
 - ▲ 1915 में उन्होंने ऑनर्स के साथ मास्टर ऑफ लॉ (LLM) पूरा किया।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

- **चंपारण सत्याग्रह (1917):** गांधीजी के आह्वान पर वे चंपारण पहुँचे।
 - ▲ यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित किया।
- **असहयोग आंदोलन (1920–22):** उन्होंने अपनी सफल वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की।
 - ▲ चौरी-चौरा घटना के बाद वे गांधीजी के साथ दृढ़ता से खड़े रहे।
- **नमक सत्याग्रह (1930):** उन्होंने बिहार में पटना के नक्कास तालाब पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहाँ स्वयंसेवकों ने नमक बनाया और गिरफ्तारी दी।
- **कांग्रेस अध्यक्ष:** उन्होंने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की।
 - ▲ 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद वे अध्यक्ष चुने गए।

- ▲ जुलाई 1946 में जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तो वे इसके अध्यक्ष चुने गए।
- ▲ उन्हें 1962 में उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

संविधान सभा की समितियाँ जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की

- कार्यविधि समिति
- संचालन समिति
- वित्त और स्टाफ समिति
- राष्ट्रीय ध्वज पर अस्थायी समिति

साहित्यिक योगदान

- उन्होंने अपने अनुभवों और राजनीतिक विचारों को कई प्रभावशाली कृतियों में दर्ज किया:
 - ▲ सत्याग्रह एट चंपारण (1922)
 - ▲ इंडिया डिवाइडेड (1946)
 - ▲ आत्मकथा (1946)
 - ▲ महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेन्सेस (1949)
 - ▲ बापू के कदमों में (1954)

Source: PIB

■■■■■

